

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड



विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर

लाइन आर्डर फार्म :-

बुक संख्या.....

संख्या 2280

वि०वि०ख०/अनुबन्ध

कनेक्शन संख्या.....

नये कनेक्शन के सम्बन्ध में।। दिनांक.....

दिनांक- 28/07/2023

खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर/माधौटाण्डा।

आपको सूचित किया जाता है कि उपभोक्ता श्री हरदीप सिंह
पुत्र श्री मनदीप सिंह
ग्राम पुर्नाराज माधौयस पो. कलीगाँव
पीलीभीत में 3118 अश्वशक्ति/किलोवाट 2 का अनुबन्ध इस कार्यालय में
दिया है तथा वी०एड०एल फार्म व मोटर निरीक्षण शुल्क का चालान इस कार्यालय में जमा कर दिया गया है। अतः
आपको कनेक्शन जारी करे। तथा वी०एड०एल० फार्म का सत्यापन करके एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।।

संलग्नक :- एक प्रति वि०एड०एल० फार्म।

अधिशारी अभियन्ता

पत्र संख्या- वि०वि०ख०/अनुबन्ध दिनांक-
(1) प्रतिलिपि उपभोक्ता श्री हरदीप सिंह पुत्र श्री मनदीप सिंह
ग्राम पुर्नाराज माधौयस पोस्ट कलीगाँव जिला पीलीभीत
को सूचनार्थ प्रेषित।

- (2) विद्युत निरीक्षक विद्युत सुरक्षा स्टेशन रोड पीलीभीत को चालान फार्म तथा वी०एड०एल० फार्म आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (मा०) विद्युत परीक्षण उप खण्ड पूरनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- एक प्रति वी०एड०एल० फार्म।
एक प्रति चालान फार्म।

अधिशारी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, ~~नलकूप~~ पुरपुर
नलकूप पी0टी0 डब्लू0
कार्यालय ज्ञापन

प्राथमिकता संख्या :- 3248

स्वीकृत नं0 :-

श्री..... / नलकूप पत्नी / पुत्र श्री..... दिनांक 28/07/23
निवासी..... पोस्ट.....
जिला..... ग्राम जहां कनेक्शन लगाना है.....
ब्लाक..... जिला पीलीभीत के नलकूप/पम्पसेट कनेक्शन हेतु.....

अश्व शक्ति विद्युत भार एतद द्वारा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

1. बिजली की मात्रा सीमित होने पर सप्लाई बन्द हो सकती है।
2. विद्युत शक्ति का प्रयोग केवल उपर्युक्त कार्य के लिए ही किया जायेगा। तथापि नलकूप के साथ श्रेशर कुटी मशीन तथा खड़ा कोल्हू स्वीकृत अश्व शक्ति के अन्दर चलाये जा सकते हैं किन्तु इसके लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी अन्यथा विद्युत विच्छेदन की जा सकती है।
3. लाइट का प्रयोग केवल पम्प हाउस में ही किया जायेगा तथा उसके लिए 60 वाट क्षमता के अधिकतम दो बल्ब प्रयोग किये जा सकेंगे। इससे अधिक बल्ब लगाने पर सप्लाई बिना नोटिस के काटी जा सकती है। तथा अन्य कार्यवाही की जा सकती है।
4. निजी नलकूप/पम्पसेट पूर्व निर्मित अथवा निर्माणाधीन नहर से 50 मीटर अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
5. जिस ट्रांसफार्मर से किसी राजकीय नलकूप को विद्युत दी जा रही है अथवा दी जाने वाली है। किसी भी निजी नलकूप/पम्पसेट को कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
6. नलकूप / पम्पसेट का प्रांकलन (स्टीमेट) कृषक का बोरिंग होने पर ही बनाया जायेगा।
7. प्रक्रमण शुल्क रुपये 100.00 रसीद संख्या..... दिनांक.....

153692961

अधिशासी अभियन्ता
दिनांक.....

पत्र संख्या

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. उपरोक्त आवेदक।
2. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम, द्वितीय, ~~तृतीय~~ पुरपुर ~~विभाग~~ को इस आशय के साथ प्रेषित की वह 15 दिन के अन्दर अनुमानित व्यय पत्र बनाकर कार्यालय को प्रेषित करें।
3. श्री..... अवर अभियन्ता 33 के0वी0 उपगृह..... को सर्वे तथा स्टीमेट प्रेषित करने हेतु।
4. क्षेत्र विकास अधिकारी

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण खण्ड
उ.प्र. पाँवर कारपोरेशन लिमिटेड, पूरनपुर (पीलीभीत)

पत्रांक 3279 नि.वि.ख.पू./एल.एण्ड टी. दिनांक 20.10.2023

प्रॉपसो पी. रू० प्रकमण शुल्क रसीद संख्या दिनांक

विषय: निजी नलकूप एवं बत्ती प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तों

सेवा में श्रीमान/श्रीमती एन.ए. सिंह आत्मज श्री मनदीप सिंह ग्राम

पुलावा डा० एन.ए. सिंह ब्लाक पुलावा जिला-पीलीभीत

महोदय, आपके प्रार्थना पत्र 20.10.2023 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपने नलकूप के लिए SHR अश्वशक्ति (H.P.) तथा पंखरा बत्ती के लिए 120 वॉट के कनेक्शन देने हेतु निम्नलिखित शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

- (क) सर्विस कनेक्शन चार्जेंज रूपया 203600 केबिल की कीम
- (ख) फिक्स चार्जेंज रूपया 202200
- (ग) सिस्टम लोडिंग चार्जेंज रूपये
- (घ) प्रतिभूति के रूप में (Security) निजी नलकूप रू० 90000 पंखा बत्ती रू० 10000
कुल योग (अकों में) 590000 (शब्दों में) पचास लाख नब्बे हजार शीसहस्र मात्र
- आपके कनेक्शन के लिए कारपोरेशन द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन बढ़ने पर रू० का धन अधिक जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- मीटर निरीक्षण शुल्क को राजकीय कोष में XIII Other Taxes and Duties From B.E. के अन्तर्गत रू० जमा करना होगा।
- आपके नलकूप को कनेक्शन देने हेतु रू० का व्यय भार कारपोरेशन को वहन करना होगा। जबकि निगम द्वारा इस मद में रू० की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यदि आप बढत (Excess) रू० को जमा कर दते हैं तो वह 6 रू० प्रतिशत वार्षिक ब्याज के 5 वर्षों बाद अर्द्धवार्षिक किश्तों में वापस कर दिया जायेगा।
- आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33 कें.मी. विद्युत सब स्टेशन/स्टोर सेन्टर पीलीभीत में अपने वाहन से ढलाई करनी होगी तथा सामान की ढलाई के साथ कारपोरेशन का कुशल श्रमिक (Skilled Labour) के साथ जायेगी तथा शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
- आपको अपनी लाइन बनाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध नीचे लिखी मात्रा में करना है
(क) ईट रोड़ी Cft (ख) बालू Cft (ग) सीमेन्ट बैग
- आपसे सर्विस कनेक्शन चार्जेंज में केबिल का मूल्य नहीं लगाया जा रहा है। अतः कनेक्शन हेतु केबिल का प्रबन्ध आप स्वयं करेंगे।
- कनेक्शन हेतु लाइन बनाने के लिए की आवश्यकता रहेगी उसका भी आपको प्रबन्ध करना हो। यदि आप को ऊपर लिखी शर्तें मान्य हों तो आप किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में पधार कर एग्जीमेन्ट पर हस्ताक्षर कर दें।

(1) आप नान जुडिशियल 100.00 रू० का जनरल स्टाम्प 1 रू० की रसीदी टिकिट (Revenue Stamp) साथ लायें।
(2) आपका अनुबन्ध तभी किया जायेगा जब आपका वायरिंग पूरा होगा एवं बी.एण्ड एल. फार्म और मोटर निरीक्षण शुल्क बैंक में जमा किया हुआ चालान फार्म (Meter Inspection Fee) साथ लायेंगे।

नोट: कि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र के पान के 90 दिन बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है आप आपका जमा प्रकरण शुल्क रू० जब्त हो जायेगा।

नोट: संयोजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में समुचित लक्ष्य प्राप्त होने पर ही ऊर्जीकृत किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक / वि.वि.ख.पू./ दिनांक

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
 - उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर, पीलीभीत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

ESTIMATE

Estimate for giving connection of 3 H.P. For PTW to Mr. Hardeep Singh S/O Shri Amrik Singh at Village Puraina T.Madhotanda Tehsil Kalinagar from Chandupur Ptw feeder under Kalinagar S/S under **Deposit Head** .The Service Cable Shall be tapped from Chandupur Ptw feeder near village Puraina Emination S/S 33/11 KV.Kalinagar

S.NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY.	RATE	AMOUNT
1	PCC POLE 8.5 Mtr Long	Nos.	0	2721.00	0.00
2	ACSR Weasal Conductor	KM.	0	23.98	0.00
3	Lt Clamp	Nos.	0	304.00	0.00
4	Shackle Insulator	Nos.	0	36.00	0.00
5	M.S. Earthing Rod (2540X20) Sqmm	Nos.	0	503.00	0.00
6	G.I. Wire 5 MM 6 SWG	KG	0	84.53	0.00
7	Stay Rod 16X1800 Sqmm	Nos.	0	549.00	0.00
8	Stay Clamp	Nos.	0	143.00	0.00
9	Stay Wire 7/10 SWG	KG	0	84.00	0.00
TOTAL OF MATERIAL COST					0.00
SUB TOTAL					0.00

LINE CHART

Contingency Charge 3%	0.00
Total	0.00
T & P Charge 1.5 %	0.00
<u>GRAND TOTAL SAY</u>	<u>0.00</u>

REPORT

An above estimate amounting **Rs. 00.00** has been framed to cover for giving connection of 3 H.P. For PTW to Mr.Hardeep Singh S/O Shri Amrik Singh Village Puraina T.Madhotanda from Chandupur Ptw feeder under Kalinagar S/S under Deposit Head .The Service Cable Shall be tapped from Exist **Non Subsidy Transformer 63 KVA (New Ptw Feeder Line)** of 11 KV Chandupur Ptw feeder near village Puraina Emination S/S 33/11 KV Kalinagar

The rates have been charged as per current stock issue rates UPPCL & rates of labour charge, cartage charge in the estimate as per current market rates. The above work will be done under the supervision of S.D.O. Madhotanda




S.D.O.
E.D.S.D. Madhotanda



J.E.
33/11 K.V. Kalinagar S/S

Line chart



T/P - 3kVA
 P/W - 7x5 = 35HP
 L/P - 10kw - 10kw

[Signature]
 JE Kalina Jau

✱

~~5HP~~


विद्युत वितरण खण्ड - पूरनपुर

सपकेन्द्र का नाम:-
पोषक का नाम:-
संयोजन पीपीटी/डब्ल्यू पोषक से प्रस्तावित है
हां/नहीं

33/11 कोवै. कनेक्शन
Chanolapur PTW
Yes

संयोजन एलसी/एलसी पर प्रस्तावित है
यदि एलसी पर है तो उक्त परिवर्तक पर
संयोजन का विवरण

LIT
T/F - 63 KVA
PTW - 7x5 = 35 HP
C/F - 10KW = 10KW



[Signature]

अवर अभियन्ता

33/11 कोवै। सपकेन्द्र का नाम:- कनेक्शन

[Signature]

सपखण्ड अधिकारी
सपखण्ड-प्रथम/द्वितीय
पूरनपुर/गावौलखण्ड